संख्या—ओ० एम/आर—2-02/77 का० 541

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग,

(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

प्रेषक;

श्री शरण सिंह,

सेवा में; मुख्य सचिव, बिहार ।

सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)।

पटना-15, दिनांक 29 जुलाई. 1977 ।

विषय :— गोपनीयता की रक्षा ।

महोदय;

निदेशानुपार मुझे कहना है कि अक्सर ऐसा शिकायतें हो रही हैं कि सचिवालय की संचिकाओं की बातें बाहर प्रकट हो जाती है, जिसके कारण उससे सम्बद्ध विषयों में अभिरुचि रखनेवाले व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों पर पहुँच करने का अवसर प्राप्त होता है। निःसंदेह यह परिस्थिति इस कारण उत्पन्न होती है कि विभागों/विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कागज-पत्रों की गोपनीयता की रक्षा के लिए अपेक्षित सावधानी नहीं बरती जाती है ।

2. सचिवालय अनुदेश के नियम 663 (अवतरण अनुलग्न) में यह स्पष्ट उपबंध है कि सचिवालय में प्राप्त या निबटाये जानेवाले सभी कागज-पत्र, जिनमें कार्यालय टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं, गोपनीय हैं। इनकी अन्तर्वस्तुओं को बाहर प्रकट न करना चाहिये। इनके बारे में बातचीत करने पर भी निषेध है ।

3. संचिकाओं की गति को गोपनीय रखना भी अत्यावश्यक है। संचिकाओं की गति की जानकारी असंबद्ध व्यक्तियों को ही जाने से उनके निष्पादन में स्वभावतः कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं ।

4. सरकार चाहती है कि संचिकाओं की अन्तर्वस्तु, या गति की गोपनीयता पूर्णरूपेण बरती जाय। अतएव, अनुरोध है कि सचिवालय अनुदेश के संबंधित प्रावधान एवं संचिकाओं की गति की गोपनीयता का अनुपालन व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर सुनिश्चित करें एवं यदि कोई पदाधिकारी या कर्मचारी इसका अनुपालन नहीं करते पाये जायं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाय ।

5. कृपया इसकी प्राप्ति स्वीकार करें ।

विश्वासभाजन
शरण सिंह
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-ओ० एम०/आर-2-02/77 का० 541

पटना 15, दिनांक 29 जुलाई, 1977

प्रतिलिपि, मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन
(ज्योतिर्मय प्रमाणिक)
सरकार के अवर सचिव

सचिवालय अनुदेश । भाग—5 गोपनीय मामले

6. 63/गोपनीय मामले/सचिवालय में प्राप्त या निबटाये जानेवाले सभी कागज-पत्र, जिनमें कार्यालय-टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं, गोपनीय हैं। इनकी अन्तर्वस्तुओं को बाहर प्रकट न करना चाहिए। इनके बारे में बातचीत भी न करनी चाहिए। इस नियम का भंग एक अपराध है, जो इण्डियन ऑफिशियल सिक्रेट्स ऐक्ट, 1923 (संख्या 19, 12 3) की धारा 5 (4) के अधीन दो वर्ष तक के कारावास से या जुर्माना से अथवा दोनों से दंडनीय हैं। यह नियम खासकर "गोपनीय" लेख्यों पर और भी तीव्र रूप से लागू है, और सभी पदाधिकारियों को सावधान किया जाता है कि वे इन्हें अधिकाधिक गोपनीय रखें तथा इनकी अन्तर्वस्तुओं को कार्यालय के भीतर या बाहर किसी भी दशा में न खोलें ।